

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222283
SG-DL-E-07102020-222283

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]	दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 7, 2020/आश्विन 15, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152
No. 206]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2020/ASVINA 15, 1942	[N. C. T. D. No. 152

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2020

सं. फा. डीसी/अॅप्स/टीपीटी/2014/56864.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 तथा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2(q) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए जो नियम बनाना प्रस्तावित करते हैं, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 03 दिन अधिसूचना की अवधि बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली/वाले किन्हीं आपत्तियों या किन्हीं सुझावों के साथ-साथ विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 या ई-मेल commptpt@nic.in को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ	1. (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली (..... संशोधन) नियम, 2020। (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की अंतिम तिथि से प्रभावी होगा।
----------------------------------	--

नियम 34 ए में संलग्न परिशिष्ट 1 में भाग (क) का प्रतिस्थापन	नियम 34ए में संलग्न परिशिष्ट 1 के भाग (क) को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :- (क) निजी वाहनों के लिए i) लोक सभा के अध्यक्ष। ii) केन्द्रीय मंत्री। iii) राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता। iv) लोक सभा के प्रतिपक्ष के नेता। v) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। vi) अध्यक्ष, लोक संघ सेवा आयोग। vii) मुख्य चुनाव आयुक्त। viii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ix) राज्य सभा के उपाध्यक्ष। x) लोक सभा के उपाध्यक्ष। xi) उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। xii) दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। xiii) दिल्ली सरकार के मंत्री। xiv) अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा। xv) उपाध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा। xvi) संसद सदस्य। xvii) दिल्ली विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता। - xviii) दिल्ली विधान सभा के सदस्य। xix) भारत सरकार के सचिव/ समकक्ष अधिकारी तथा उससे उपर के अधिकारी। xx) दिल्ली के मेयर। xxi) मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार। xxii) प्रधान सचिव/ सचिव, दिल्ली सरकार। - xxiii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश। xxiv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा दानिक्स संवर्ग के अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक स्तर के कम नहीं)
--	--

यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी की गई है।

ज्योति सेठ, उपायुक्त (ऑपरेशन-I)

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th October, 2020

No. F. DC/OPS/TPT/2014/56864.—The following draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, which the Government of National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) read with Rule 2 (q) of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 is hereby published as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of three days from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary-com-Commissioner (Transport), Government of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110054 or on e-mail at commtp@nic.in.

DRAFT RULE

Short Title and Commencement	1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (_____ Amendment) Rules, 2020. (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Delhi Gazette.
Substitution of Part A of Annexure 1 annexed to rule 34 A	The Part A of Annexure 1 annexed to rule 34 A shall be substituted as given below : A For personal vehicles; i. Speaker of Lok Sabha ii. Ministers of the Union iii. Leader of Opposition in Rajya Sabha iv. Leader of Opposition in Lok Sabha v. Judges of Supreme Court vi. Chairman, UPSC vii. Chief Election Commissioner viii. Comptroller and Auditor General of India ix. Deputy Chairman of Rajya Sabha x. Deputy Speaker of Lok Sabha xi. Lieutenant Governor of NCT of Delhi xii. Judges of High Court of NCT of Delhi xiii. Ministers of the NCT of Delhi xiv. Speaker, Delhi Legislative Assembly xv. Deputy Speaker of Delhi Legislative Assembly xvi. Members of Parliament xvii. Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly - xviii. Members of Delhi Legislative Assembly xix. Secretaries to Government of India/equivalent officers and above posted in Delhi xx. Mayors of NCT of Delhi xxi. Chief Secretary, NCT of Delhi xxii. Principal Secretaries/Secretaries to Government of NCT of Delhi - xxiii. Principal District and Sessions Judges of NCT of Delhi xxiv. Officers of Government of NCT of Delhi belonging to the cadre of Indian Administrative Services and DANICS (not below the level of Junior Administrative Grade)

This issues with the approval of Minister of Transport, Government of NCT of Delhi.

JYOTI SETH, Dy. Commissioner (Operation-I)